<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 126/2020 **दायर दिनांकः 21/08/2020**

उनवान

1. कैलाशबाई उर्फ कोशल्याबाई आयु 60 वर्ष पत्नि द्वारकालाल जाति बैर्वा निवासी मायथा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट</u>
<u>व धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 07/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 73 ख0नं0 814/37 रकबा 0.08 है0 किता 1 रकबा 0.08 है0 आराजी वादिया के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही हैं। जिसमे वादिया का नाम कोशल्याबाई दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वादिया के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, जोबकार्ड व अन्य दस्तावेजो में वादिया का नाम कैलाशबाई पत्नि द्वारकालाल जाति बैरवा निवासी मायथा दर्ज है। जिसकी छाया प्रतिया वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी में वादिया को अलोट करते समय राजकीय कर्मचारियो द्वारा वादिया का नाम कोशल्याबाई सहवन से दर्ज कर दिया था। जबकि वादिया का वास्तविक नाम वाद पत्र की मद नं० 2 मे वर्णित दस्तावेजो में केलाशबाई दर्ज हैं। जो वादिया का सही नाम [illegible] पत्र की मद नं 1 मे वर्णित आराजी मे वादिया का गलत नाम कोशल्याबाई दर्ज होने के कारण वादिया अपनी आराजी का कृषि विकास नही करवा पा रही हैं तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ [illegible] मे काफी परेशानी का समना करना पड रहा हैं। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी में वादिया का नाम कौशल्याबाई के स्थान पर सही नाम केलाशबाई करवाया जाना सम्भव नही हैं। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:48:58 IST
Reason: SelfAttested

यदि वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी मे वादिया का वास्तविक नाम केलाशाबाई दर्ज नही किया गया तो वादिया को अपरिमित क्षति होगी अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडैगा तथा सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पावेगी। जिसकी पूर्ति बाद मे अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है। अस्तु वादिया प्रतिवादी से वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी में कोशल्यावाई के स्थान पर सही नाम केलाशबाई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 13.08.2020 को नकल लेकर प्रधान मन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के लिए आवेदन करने पर व अन्तिम बार दिनांक 14.08.2020 को जमाबन्दी में गलत नाम कोशल्याबाई दर्ज होने के कारण आवेदन निरस्त हो जाने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र मे उत्पन्न हुआ हैं। प्रतिवादी भूमि धारक होने व वाद नाम दुरूस्ती होने के कारण राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारा तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हें।

अतः माननीय न्यायालय मे वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावे कि:—

(अ) वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी मे वादिया का नाम कोशल्याबाई के स्थान पर सही नाम केलाशबाई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी कों प्रदान किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब तथा पेश [illegible] के कारण जवाब दावा बंद किया गया। अभिभाषक वादिया द्वारा साक्ष्य पेश नही करना चाहता है।

अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया, तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम कोशल्याबाई के स्थान पर सही नाम केलाशबाई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:48:58 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 73 किता 1 रकबा 0.08 है0 में सहखातेदार के रूप में कोशल्याबाई पत्नि स्व0 द्वारकालाल नाम दर्ज है। वादिया का भारत निर्वाचन आयोग परिचय पत्र में केलाश बाई, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, आदि में वादिया का नाम केलाश बाई, अंकित है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर न्यायहित में वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद न्यायहित मे स्वीकार योग्य है। विवादित आराजी ग्राम मायथा की खाता संख्या 73 किता 1 रकबा 0.08 है0 में सहखातेदार कोशल्याबाई पत्नि द्वारकालाल के स्थान पर केलाशबाई पत्नि द्वारकालाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:48:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 126/2020

उनवान

1. कैलाशबाई उर्फ कोशल्याबाई आयु 60 वर्ष पत्नि द्वारकालाल जाति बैर्वा निवासी मायथा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट</u>
<u>व धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :-

वादीगणः- विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।
प्रतिवादीः- विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मायथा की खाता संख्या 73 किता 1 रकबा 0.08 है0 में सहखातेदार कोशल्याबाई पत्नि द्वारकालाल के स्थान पर केलाशबाई पत्नि द्वारकालाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07/01/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	[illegible] र्जी जवाब	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प [illegible]	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:48:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)